

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :- 120/2023

1. श्री सोहनलाल पुत्र नानुसम (अति ब्राह्मण निवासी) आर्दन गीट भूमिवाणी रोड वॉसरेम्बा  
 वॉसील रोड गंगदर केट डी.प्रार्थीगण.

बनाम

1. गवरेलाल पुत्र चन्दा बागरिया निवासी शिवपुर तहसील करेडा जिला भीलवाडा  
 विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 10/2/2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ~~वाडिया~~ <sup>वाडिया</sup> पटवार हल्का ~~21011~~ <sup>21011</sup> तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 45, 206, आराजी नम्बर 144 286 140 146 147 145 146  
 0.1265 / 0.2276 / 0.1138 / 0.1265 / 0.2403 / 0.2909 / 0.1265

~~147~~  
~~0.1265~~

कुलकिता 0.6

रकबा 1.1256 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10/2/2023 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ~~वाडिया~~ <sup>जोमावाडिया</sup> पटवार हल्का ~~21011~~ <sup>21011</sup> तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या ~~224~~ <sup>224</sup> आराजी नम्बर 144  
286 140 146 147 145  
 0.2276 / 0.1138 / 0.1265 / 0.2403 / 0.2909 0.1265

कुलकिता 0.6

रकबा 1.1256 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुरखा जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक ~~जोमावाडिया~~ <sup>जोमावाडिया</sup> को 700/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

संलग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखंड अधिकारी पदेन  
 सहायक कलक्टर  
 करेडा जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखंड अधिकारी पदेन  
 उपखण्ड अधिकारी  
 करेडा जिला भीलवाडा